



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग  
गुरुकुल काँगड़ी, हरिद्वार।

दूरभाष संख्या :- (01334) 244143, 242331, 242332

संख्या :- 52/95/ई-1/2011-12

हरिद्वार : दिनांक 08 जून, 2012

सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा-2012

पूरक विज्ञापन  
(Addendum)

एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा-2012 हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या : ए-3/ई-1/2011-12 दिनांक 26 मई, 2012 में पंचायती राज एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के निम्नवत् पदों को भी सम्मिलित किया जाता है:-

क्र० सं०	विभाग का नाम	पद का नाम	रिक्तियों की संख्या	सामान्य	अनु० जाति	अनु० जनजाति	अ०पि०वर्ग
01	02	03	04	05	06	07	08
01	पंचायती राज एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग	सहायक अभियंता (सिविल)	15	10	02	01	02
		सहायक अभियंता (यांत्रिक)	01	—	01	—	—
	योग		16	10	03	01	02

**क्षैतिज आरक्षण :-** क्षैतिज आरक्षण अद्यतन प्रचलित शासनादेश के अनुसार अनुमन्य होगा।

**अनिवार्य शैक्षिक अर्हता :-** 1. सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था या विश्वविद्यालय से सिविल/यांत्रिक अभियंत्रण में स्नातक उपाधि या

2. पूर्णतया अर्ह एसोसिएट मेम्बर जिसने सिविल/यांत्रिक अभियंत्रण में इन्स्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग (इण्डिया) का भाग 'क' एवं 'ख' उत्तीर्ण कर लिया हो।

**अधिमानि अर्हता :-** अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दियो जायेगा, जिसने-

(1) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या

(2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।


**आयु :-** आयु गणना की विनिश्चयक तिथि 01 जुलाई, 2012 को न्यूनतम आयु 21 वर्ष की अवश्य होनी चाहिए और 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 02 जुलाई, 1977 से पूर्व का नहीं होना चाहिए तथा 01 जुलाई, 1991 के बाद का नहीं होना चाहिए।

उक्त के अतिरिक्त दिनांक 26 मई, 2012 को सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा-2012 हेतु प्रकाशित विज्ञापन की शेष शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।

उक्त परीक्षा हेतु निर्दिष्ट आवेदन पत्र जमा किये जाने की अंतिम तिथि 26 जून, 2012 को बढ़ाते हुए दिनांक 11 जुलाई, 2012 की जाती है।

नोट- 1. विज्ञापन सं० : ए-3/ई-1/2011-12, दिनांक 26 मई, 2012 के सापेक्ष जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र आयोग को प्रेषित कर दिये गये हैं, उन्हें उक्त पदों हेतु पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन पत्र प्रेषित किये जाते हैं तो उसे मूल विज्ञापन के अतिमहत्वपूर्ण निर्देश के बिन्दु सं० 6 के अनुसार स्वीकार नहीं किया जायेगा।

2. विज्ञापन का विस्तृत विवरण आयोग की वेबसाइट [www.ukpsc.gov.in](http://www.ukpsc.gov.in) पर उपलब्ध है।

  
(चन्द्रशेखर भट्ट)

010 . सचिव